17/12/24

पत्रावली में। बहुलाम फरीकैन हाजिर/अधि
स. 4 की अपील वकील मुकेश पारिक हाजिर
अधि. की धा. 5 व 7 की तामिल उपरान्त/कारण
श्रमिक के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही आगे में जारी पाली/अस्थायी
अधिवक्ताओं के मुलवाद के निस्तारण तक
पाबन्द हेतु निषेधाज्ञा/अन्तः अस्थायी अधिवक्ताओं
के निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष को इस आधार
से पाबन्द किया जाता है कि मुलवाद के
निस्तारण तक मौका व निर्माण की यथास्थिति
बनाये रखे तथा नव निर्माण न करे।
पत्रावली को मुल शुमार होकर मुलवाद
के पंजीयन हो।